कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, ई–1, सैक्टर–1, नोएडा।

पत्रांकः 2808 /29–1, दिनांक गौतमबुद्धनगर 30 दिसम्बर, 2024।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः– गौतमबुद्धनगर जनपद में पड़ने वाली हिण्डन नदी के दोंनो ओर के क्षेत्र के सौन्दर्यकरण एवं प्रदूषण रोकथाम के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–859/2022, अभिष्ठ कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023।
2. इस कार्यालय का पत्रांक–2403/29–1, दिनांक 02.12.2024।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद का पत्रांक–3558/सिनिखिगा0/हिण्डन नदी, दिनांक 05.12.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित के क्रम में अवगत कराना है कि हिण्डन नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सौन्दर्यकरण एवं प्रदूषण रोकथाम के लिये विस्तृत योजना तैयार कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद को इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लिखा गया था, उनके द्वारा अपने पत्रांक–3558/सिनिखिगा0/ हिण्डन नदी, दिनांक 05.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) से अवगत कराया गया कि नदियों के पुनरूद्धार एवं कायाकल्प से सम्बन्धित कार्य व घाटों के निर्माण, सफाई एवं रख–रखाव का कार्य आपके कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

अतः नदियों के पुनरूद्धार एवं कायाकल्प से सम्बन्धित कार्य व घाटों के निर्माण, सफाई एवं रख–रखाव का कार्य से सम्बन्धित विस्तृत योजना तैयार कर एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराते हुये जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को भी प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला गंगा समिति, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः 2808 / , दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें:–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला गंगा समिति, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः 2808 / , दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा/ग्रेटर नोएडा।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दादरी एवं समस्त नगर पंचायत, गौतमबुद्धनगर।
5. श्री अभिष्ठ कुसुम गुप्ता, पर्यावरणविद, पैरामाउण्ट फ्लोराविल्ले, सैक्टर–137, नोएडा।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला गंगा समिति, गौतमबुद्धनगर।

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

प्रेषित,

प्रभागीय वनाधिकारी,
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः3558/सिनिखिगा0 / हिण्डन नदी गौतमबुद्धनगर दिनांकः05/12/24

विषयः गौतमबुद्धनगर में पड़ने वाली हिण्डन नदी के दोनो ओर के क्षेत्र के सौन्दर्यकरण एवं प्रदूषण रोकथाम के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0संख्या–859 / 2022 अभिष्ठ कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दि0 15.12.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा हिण्डन नदी के बाढ प्रभावित क्षेत्र के सौन्दर्यकरण एवं प्रदूषण की रोकथाम के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर एक सप्ताह में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव उ0प्र0शासन, सिंचाई एंव जल संसाधन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के पत्र संख्या–1 / 316988 / 23–27–सिं0–4 / दिनांक 16.05.2023 के द्वारा निर्देशित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) कि गंगा एवं गंगा की सहायक नदियों को तकनीकी संस्थाओं के विशेषज्ञों के सहयोग से चलाये जा रहे कार्यक्रम के अन्तर्गत नदियों के पुनरूद्वार एवं कायाकल्प से सम्बन्धित कार्य व घाटों के निर्माण सफाई एवं रख–रखाव का कार्य नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा कराया जायेगा।

हिण्डन नदी में विभिन्न माध्यमों से गिरने वाले प्रदूषित जल को रोकने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जल निगम एवं अधिशासी अधिकारी नगर निकाय द्वारा की जानी है।

अतः उक्त विषयक के सम्बन्ध में अनुरोध किया जाना है कि विषयगत कार्य सिंचाई विभाग द्वारा नहीं कराये जाते हैं। सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक : शासनादेश की छायाप्रति।

ASO / DPO

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

पत्रांकः /सिनिखिगा0 / हिण्डन नदी गौतमबुद्धनगर / दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद गौतमबुद्धनगर।
1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू0पी0सीडा, ग्रेटर नोएडा।
6. सहायक अभियन्ता, प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद।

डायरी नं0 4223
6-12-24

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4

संख्या-1|316988/23-27-सिं0-4

लखनऊ : : दिनांक 16 मई, 2023

(डायरी सं0 G-291 प्र0अ0 उ0स0)
दिनांक 17-5-2023

डा०सं० 3919 / शासन
प्रमुख अभि० (सिंचाई)
दिनांक 17/05/2023

प्रमुख सचिव,

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

कृपया जनपद वाराणसी में गंगा नदी के बांये किनारों पर स्थित घाटों के तकनीकी अध्ययन से संबंधित जिलाधिकारी वाराणसी के पत्र संख्या-947/बं0 प्र 0 वा0/कला अनु0/गंगा नदी, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वाराणसी के शहरी क्षेत्र में सुरक्षा, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से गंगा नदी के घाटों एवं नदी में जमा सिल्ट के तकनीकी अध्ययन हेतु किसी विशेषज्ञ संस्था को नामित किये जाने का अनुरोध राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन0 एम0 सी0 जी0) से किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि गंगा एवं गंगा की सहायक नदियों को तकनीकी संस्थाओं के विशेषज्ञों के सहयोग से चलाये जा रहे कार्यक्रम के अन्तर्गत नदियों के पुनरोद्धार एवं कायाकल्प से संबंधित कार्य व गंगा घाटों के निर्माण, सफाई एवं रख रखाव का कार्य नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा सम्पन्न कराया जाता है।

(गंगा ऊपर यमुना)

अतः अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

E.E

Signed by अमित प्रणव
Date: 15-05-2023 20:05:08
Reason: Approved
(अमित प्रणव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1|316988(1) /23-27-सिं0-4 तद्दिनांक।

ExEN PLP Div-2

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अधिशासी निदेशक (टेक्नीकल), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन0 एम0 सी0 जी0), प्रथम तल, मेजर ध्यान चन्द नेशनल स्टेडियम, इण्डिया गेट, नई दिल्ली।

SE-I

2. जिलाधिकारी वाराणसी।

3. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

CE(W.R.)

S.E.

आज्ञा से,

अमित प्रणव,

संयुक्त सचिव।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ
17/05/23